निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1929 (श०)

(सं० पटना 507) पटना, सोमवार 4 जून 2007

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचनाएं

1 जून 2007

जी० एस० आर० 5—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल आपूर्ति निरीक्षक के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—(1) यह नियमावली "बिहार आपूर्ति सेवा नियमावली, 2007" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार होगा।

(3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं।— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है – बिहार राज्य सरकार;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है – प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;

(iii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है – राज्य सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;

(v) "आयोग" से अभिप्रेत है – बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(vi) "सेवा" से अभिप्रेत है – बिहार आपूर्ति सेवा;

(vii) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है – इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

3. सेवा/संवर्ग का गठन।—(1) इस सेवा या संवर्ग में निम्नांकित कोटि के पद होंगे –

(i) आपूर्ति निरीक्षक,

(ii) पणन पदाधिकारी,

(iii) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

(iv) जिला आपूर्ति पदाधिकारी।

(2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

4. प्राधिकृत बल.—(1) सेवा का वर्तमान बल निम्नांकित है, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर पद सृजन अथवा पद समाप्ति के फलस्वरूप सेवाबल तदनुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा :–

(i) आपूर्ति निरीक्षक	–	611
(ii) पणन पदाधिकारी	–	316
(iii) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	036
(iv) जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	012

(2) उपनियम (1) के तहत निर्धारित स्वीकृत बल के आधार पर विभिन्न जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर पदों का चिन्हीकरण सेवा नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से आपूर्ति निरीक्षक, पणन पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग के सभी कर्मी इस सेवा के सदस्य समझे जायेंगे।

5. आरक्षण.— सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे ।

6. सेवा में भर्ती.— (1) सेवा में प्रवेश बिन्दु पर आपूर्ति निरीक्षक का पद होगा, जिस पर भर्ती आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी । प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को दिसम्बर माह तक भेज दी जायेगी। आयु की अर्हता 1ली जनवरी के आधार पर होगी ।

(क) आपूर्ति निरीक्षक की रिक्ति का 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ख) आपूर्ति निरीक्षक का 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(2) भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता तथा भर्ती की प्रक्रिया परिशिष्ट-I के उपबंधों के अनुसार होगी। उक्त परिशिष्ट के प्रावधानों में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार अलग से अधिसूचना निर्गत कर समय-समय पर संशोधन कर सकेगा।

7. परीक्ष्यमान अवधि.— नियम-6 के तहत भर्ती किये गये आपूर्ति निरीक्षक को नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी, जिसे सेवा तथा कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। बढ़ायी गयी अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त आपूर्ति निरीक्षक को सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

8. विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि.— (1) परीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी; परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों के मामले में सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना के तहत किया जा सकेगा।

9. प्रशिक्षण.— परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, (बिपार्ड) वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा संचालित प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

10. वेतनवृद्धि.—नियुक्ति के पश्चात् राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही प्रथम एवं पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि स्वीकृत की जा सकेगी ।

11. प्रोन्नति.— (i) इस सेवा के सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्नानुसार होगी :–

(क) आपूर्ति निरीक्षक से पणन पदाधिकारी के पद पर।

(ख) पणन पदाधिकारी से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।

(ग) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।

(ii) प्रोन्नति योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार होगी, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी ।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 280, दिनांक 05 जुलाई 2002 के अन्तर्गत निर्धारित तथा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

12. वरीयता.— आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा में उत्तीर्णांक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित सूची के वरीयता क्रम में इनकी वरीयता देय होगी ।

13. इस नियमावली के किसी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम हो, तो विभाग द्वारा की गयी व्याख्या अंतिम होगी ।

14. विनियम बनाने की शक्ति।— इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति।— इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 1993 निरसित समझी जायेगी। ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के तहत किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट – I

[नियम 6 (ii) द्रष्टव्य]

1. सम्वर्ग/पद का नाम – आपूर्ति निरीक्षक
2. पदों की संख्या – 611
3. वेतनमान – 5000-150-8000
4. आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है – बिहार कर्मचारी चयन आयोग
5. सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु – न्यूनतम आयु – 21 वर्ष
   अधिकतम आयु – अधिकतम आयु वही होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्धारित किया जाय।
6. सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।
7. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता –
   (i) आपूर्ति निरीक्षक के नियमित वेतनमान से नीचे के वेतनमान में कार्यरत हों।
   (ii) आवेदन की तिथि (आवेदन के वर्ष की 1ली जनवरी) को 45 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं हों।
   (iii) आवेदन की तिथि को राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किये हों।
   (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण हों।
8. प्रशिक्षण – परीक्ष्यमान अवधि में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का विषय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिपार्ड की आपसी बात-चीत के आधार पर तैयार किया जायेगा।
9. विभागीय प्रोन्नति समिति – विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार होगी –
   (क) प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग – अध्यक्ष
   (ख) स्थापना प्रभारी उप/अवर-सचिव – सदस्य सचिव
   (ग) विभाग के अन्य उप/अवर सचिव – सदस्य
   (घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनित अनु0जाति/जन-जाति का प्रतिनिधि – सदस्य
10. प्रोन्नति का पद

प्रोन्नति का पद		पदों की संख्या	वेतनमान
पणन पदाधिकारी	–	316	5500-175-9000
सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	014+22	6500-200-10500
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	007+05	8000-275-13500

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सी0 साहा,
प्रधान सचिव।